VIII

EXTRACT FROM GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)

Appearing on Page Nos. 427-428

Dated : 13-2-1999

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

सा.का.नि. 47—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (संशोधित) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण नियम, 1976 के अध्याय 4 में नियम 4.08 के उपनियम (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) ड्राइवर, तब के सिवाय जबकि किसी विद्युत् रेल इंजन के मामले में कोई एक गतिमापी मीटर अथवा अन्य रेल इंजनों के मामले में दो गतिमापी मीटर खराब हों, खंड के लिए स्वीकृत गति का पालन करेगा। ऐसे खराब गतिमापी मीटरों के मामले में सवारी गाड़ियों की अधिकतम अनुज्ञेय गति और निर्धारित (बुक) गति, दोनों को अन्यथा अनुज्ञेय गति से दस प्रतिशत कम किया जाएगा।"

[सं. 97/संरक्षा (ए एंड आर)/29/27]

शांति नारायण, सदस्य यातायात और पदेन सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम 21 जुलाई, 1981 की सा.का.नि. सं. 445(ई) में अधिसूचित किए गये थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गये।

(1) सा.का.नि. 320, दिनांक 16-4-83
(2) सा.का.नि. 352, दिनांक 30-4-83
(3) सा.का.नि. 514(ई), दिनांक 27-6-83
(4) सा.का.नि. 476(ई), दिनांक 28-6-84
(5) सा.का.नि. 245, दिनांक 23-5-92
(6) सा.का.नि. 83, दिनांक 17-2-96
(7) सा.का.नि. 101, दिनांक 23-5-98

MGIPRRND—314 Rly./99—II D.—17-2-99—1000.

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1999

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (g) of sub-section (2) of section 60 read with section 198 and clause (a) of sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter IV in rule 4.08, in sub-rule (1) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(c) The Driver shall observe the sanctioned sectional speed except when either one speedometer in case of electric loco or two speedometers in case of other locomotives are defective. In such cases of defective speedometers both the maximum permissible speed and booked speed of coaching trains shall be reduced by ten per cent from the speed otherwise permissible."

[No. 97/Safety(A&R)/29/27]

SHANTI NARAIN, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

NOTE :—The principal rules were notified vide No. GSR 445(E) dated the 21st July, 1981 and subsequently amended vide No.

(1) GSR 320 dated the 16th April, 1983.
(2) GSR 352 dated the 30th April, 1983,
(3) GSR 514(E) dated the 27th June, 1983,
(4) GSR 476(E) dated 28th June, 1984,
(5) GSR 245 dated the 23rd May, 1992,
(6) GSR 83 dated the 17th February, 1996, and
(7) GSR 101 dated the 23rd May, 1998.